

Government of Rajasthan Disaster Management, Relief & Civil Defence Department

F8()DMRD/DM/2020/ 5022-28

Dated 20 14 2020

ORDER

In exercise of powers conferred under section 60(a) of The Disaster Management Act, 2005 and as per directions of SDMA, The State Government authorises all SHOs of Rajasthan to file complaint, within their Jurisdiction, before Court under section 51, 52, 54 and 57 of the Disaster Management Act, 2005 for all orders issued by Central or State Government or National/State/District Authority or National Executive Committee/State Executive Committee under the Disaster Management Act, 2005 with relation to prevention of spread of COVID-19 and related activities.

Government However in cases of orders passed by Central/State National/State/District Authority or National Executive Committee/ State Executive Committee, wherein Officers authorised to enforce that order are mentioned, such powers will be exercised only by officer empowered by those orders.

The SHOs will be deemed to be authorised as above from 24.03.2020.

26552 Chief Secretary and CEO, State Disaster Management Authority

- 1. S.A. to Hon'ble Minister Disaster Management and Relief
- 2. Additional Chief Secretary, Home Department, Govt. of Rajasthan.
- 3. Principal Secretary to CM, Government of Rajasthan.
- 4. Director General of Police, Rajasthan.
- 5. All Divisional Commissioner/IG/DIG Range
- 6. All District Collector/SPs
- 7. Sr. D.S. to CS

राजस्थान सरकार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.4(1)(1)विविध / अभि / 2019 / 113 - 127-

दिनांक : 22.04. 2020

आदेश

विषय:— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 मे परिवाद पेश किये जाने बाबत।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 8()डीएमआरडी /डीएम / 2020 / 5022—28 जयपुर दिनांक 20.04.2020 के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिवाद पेश किये जाने हेतु संबंधित थानाधिकारियो को दिनांक 24.03.2020 से अधिकृत किया गया है।

अतः संबंधित अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उक्त आदेश की अनुपालना मे संबंधित थानाधिकारियो द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद में न्यायालय में उपस्थित

होकर पैरवी करे। संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(पी.सी.बेरवाल) निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर

Bonny

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :--

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. विशिष्ट शासन सचिव, गृह(ग्रुप-9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

Sour _ निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध),जयपुर। जयपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/

आयुक्त, 2. संभागीय बीकानेर।

3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर। 4. समस्त महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, रेन्ज राजस्थान।

5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

समस्त पुलिस अधीक्षक / उपायुक्त, राजस्थान।

7. समस्त उप / सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।

निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर